राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2419/2024

लेहरू लाल कालबेलिया

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक/हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स (एचओएफएफ), राजस्थान वन विभाग, राजस्थान सरकार, अरण्य भवन, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.), राजस्थान वन विभाग, राजस्थान सरकार, अरण्य भवन, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चितौड़गढ, राज.।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.07.2024
आदेश की दिनांक : 02.08.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिग्विजय सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी सहायक वनपाल के पद पर कार्यरत है। आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण रेंज रावतभाटा, उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ से उप वन संरक्षक, एम.एम.पी. कोटा किया गया है। इसके पश्चात आदेश दिनांक 21.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वन विभाग द्वारा जो स्थानांतरण/पदस्थापन की नीतियां बनाई गई हैं, उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान रखा गया है कि 1 जुन से 30 सितम्बर के मध्य वृक्षारोपण मौसम के दौरान विभाग में पौधारोपण स्टाफ के स्थानांतरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में जुलाई में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि क्षेत्रिय वन अधिकारी रावटभाटा, चित्तौड़गढ

द्वारा अपीलार्थी के संबंध में एक पत्र वन संरक्षक, चित्तौड़गढ को प्रेषित किया गया है, जिसमें यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी के पास अतिरिक्त कार्यभार भी है। इस कारण से स्थानांतरण अति आवश्यक होने पर ही किया जाए।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.02.2024 को पारित किया गया है, उसकी पालना में अपीलार्थी को उप वन संरक्षक द्वारा आदेश दिनांक 21.07.2024 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण 1 जुन से 30 सितम्बर के मध्य वृक्षारोपण मौसम के दौरान किया गया हो। अपीलार्थी का स्थानांतरण दिनांक 20.02.2024 को ही किया जा चुका था। हम पाते हैं कि नियोक्ता अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा है, जब तक वह निर्णय विधि–विरूद्ध एवं दुर्भावनापूर्वक तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)